मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक : एफ–53/15/2012/19/यो 3920 भोपाल, दिनांक 5-7-12

प्रति

प्रमुख अभियंता,
समस्त मुख्य अभियंता
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

विषयः–कार्यविभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 के अनुसार प्रारूप निविदा (**Draft N.I.T.**) अनुमोदन के संबंध में दिशा निर्देश ।

म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 39/19/यो/2012/1553, दिनांक 2.3.2012 द्वारा कार्यविभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 में आंशिक संशोधन करते हुए परिपत्र के बिन्दु क्रमांक–2 में जारी –

"प्रमुख अभियंता एवं शासन के सक्षम / क्षेत्राधिकार की समस्त निविदाओं के निविदा प्रारूप (Draft N.I.T.) का अनुमोदन मुख्य अभियंता द्वारा एवं कार्यपालन यंत्री के सक्षम/क्षेत्राधिकार की सड़क कार्यो की निविदाओं के निविदा प्रारूप (Draft N.I.T.) का अनुमोदन अधीक्षण यंत्री द्वारा किया जायेगा । मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के सक्षम / क्षेत्राधिकार की शेष अन्य सभी निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन कंडिका 2.080 के तहत यथावत किया जावेगा ।"

आदेश को पुनः संशोधित कर एतद् द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं –

"प्रमुख अभियंता एवं शासन के सक्षम / क्षेत्राधिकार की समस्त निविदाओं के निविदा प्रारूप (Draft N.I.T.) का अनुमोदन मुख्य अभियंता द्वारा एवं मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के सक्षम / क्षेत्राधिकार की सभी निविदाओं के निविदा प्रारूप का अनुमोदन कार्यविभाग नियमावली 1983 भाग–1 की कंडिका 2.080 के तहत यथावत क्रमशः मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा ही किया जावेगा ।"

एतद् द्वारा जारी उक्त संशोधन से कार्यपालन यंत्री के सक्षम/क्षेत्राधिकार के सड़क कार्यो की निविदाओं के निविदा प्रारूप के अनुमोदन के अधिकार पुनः कार्यपालन यंत्री को यथावत वापस सौंपे जाते है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5-7-12
(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांक : एफ–53/15/2012/19/यो 3921 भोपाल, दिनांक 5-7-12
प्रतिलिपिः– निज सचिव, मा0 मंत्रीजी, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल, की सूचनार्थ।

5-7-12
सचिव,
म.प्र.शासन, लो.नि.वि.